भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4316
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की स्थिति

4316. **श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत समर्थित बालक देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) जिला बाल संरक्षण इकाइयों और वात्सल्य सदनों की संख्या कितनी-कितनी है;
(ग) क्या सरकार को प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और निगरानी संबंधी चुनौतियों सहित कार्यान्वयन में कमियों के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश भर में मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या-क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत साझाकरण आधार पर राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य संकटग्रस्त परिस्थितियों में बच्चों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है, जिनमें संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्थापित बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई) अन्य के अलावा, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत, जरूरतमंद बच्चों को प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई), जिला बाल संरक्षण इकाइयों और वात्सल्य सदनों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	बाल देखरेख संस्थाएं (सीसीआई)	जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू)	वात्सल्य सदन*
1	2024-25	2559	764	25
2	2023-24	2450	762	14
3	2022-23	2305	763	21

*ये मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वात्सल्य सदनों की संख्या है।

(ग) और (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस अधिनियम में राज्य एवं जिला स्तर पर वैधानिक संरचनाएं स्थापित की गई हैं जिनमें राज्य बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और जिला बाल संरक्षण इकाइयां शामिल हैं। यह बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना का भी प्रावधान करता है।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 (धारा 27-30) के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) के कामकाज की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है। किशोर न्याय अधिनियम अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का प्रावधान करता है (धारा 109)। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 54 के तहत निरीक्षण समितियों को बाल-आश्रय केंद्रों का दौरा करने का अधिकार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नोडल प्राधिकारी हैं और निरीक्षण समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने के लिए भी वही प्राधिकारी हैं। मंत्रालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ नियमित संपर्क में रहता है और मिशन वात्सल्य योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एडवाइजरी जारी किए गए हैं।

मिशन वात्सल्य के तहत, जिला बाल संरक्षण इकाई जिला मजिस्ट्रेट के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करती है ताकि सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं अर्थात् बाल देखरेख संस्थाओं और प्रदान की जाने वाली देखरेख सेवाओं की समीक्षा, निगरानी और निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

इस योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और कमियों को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों और अन्य कई हितधारकों का क्षमता निर्माण करना है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय ने समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश और एडवाइजरी जारी की हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, बाल हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं और आदर्श पालक देखरेख दिशा-निर्देश 2024 शामिल हैं।

मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित संपर्क में रहता है। मिशन वात्सल्य योजना के शुभारंभ के बाद से, इस योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय ने क्षेत्रीय सम्मेलन और जागरूकता/प्रचार-प्रसार कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

******